राजस्थान राज्य सूचना आयोग

झालाना लिंक रोड, ओ.टी.एस. चौराहा ,जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर

अपील संख्या: - 2082/2018

अपीलार्थी	**बनाम**	**प्रत्यर्थी**
पीयूष अग्रवाल 105 ए पदमावती कॉलोदी] निर्माण नगर] अजमेर रोड जयपुर , राजस्थान		राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं कार्यकारी निदेशक जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लि., 2 फ्लोर, आर सी आई सी विंग, उधोग भवन प्रीमीमाईस, तिलक नगर जयपुर

द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 19(3) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

निर्णय

दिनांक : 03-05-2018

1. अपीलार्थी अनुपस्थित।

2. प्रत्यर्थी पक्ष से श्री नीरज नरूका, कार्यकारी निदेशक उपस्थित।

3. मैंने प्रत्यर्थी पक्ष को सुना एवं पत्रावली का विशद परिशीलन किया।

4. अपीलार्थी के आवेदन दिनांक 30-7-17 के द्वारा प्रत्यर्थी के यहां प्रतिनियुक्ति पर आये हुए अधिकारी एवं कर्मचारियों एवं स्थानान्तरण पर आये अधिकारियों एवं कर्मचारियों के संबंध में 5 कॉलम के प्रारूप में एवं अन्य विभिन्न बिन्दुओं पर सूचना चाही गई थी। सूचना नहीं मिलने एवं प्रथम अपीलीय निर्णय दिनांक 13-10-17 से असंतुष्ट रहने के आक्षेप पर हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई है।

5. सुनवाई के दौरान प्रत्यर्थी ने निवेदन किया कि वांछित सूचना वृहद सूचना होने के कारण अपीलार्थी को पत्र दिनांक 4-9-17 के द्वारा संसूचित कर दिया गया था कि वह कार्यालय में आकर कार्यालय रिकार्ड का अवलोकन कर, शुल्क जमा करा कर, सूचना प्राप्त कर सकते हैं। उपरोक्त विनिश्चिय को दृष्टिगत रखते हुए प्रथम अपील भी निर्णय दिनांक 13-10-17 से खारिज कर दी गई थी।

6. प्रत्यर्थी ने आयोग के नोटिस के संदर्भ में अपीलोत्तर दिनांक 6-4-18 प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वांछित सूचना अतिवृहद सूचना है अतः इस प्रकार की सूचना तैयार करने में प्रत्यर्थी के संसाधनों का अननुपातिक रूप से विचलन होता है फिर भी अपीलार्थी को रिकार्ड का अवलोकन करने हेतु आमंत्रित किया गया था जिससे उन्हें सूचना उपलब्ध करवाई जा सके परन्तु अपीलार्थी उपस्थित नहीं हुए तदानुसार प्रथम अपील भी प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा खारिज कर दी गई थी

अतः हस्तगत अपील भी खारिज फरमाई जावे। इस संबंध में प्रत्यर्थी द्वारा माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 5-2-14 में माननीय उच्च न्यायालय के पैरा 6 को उद्धरित किया गया है जिसमें उन्होंने स्पष्ट किया है कि ऐसी सूचना जिससे कि प्रत्यर्थी के संसाधनों का विचलन होता हो एवं अधिकारी व कर्मचारी का अधिकतम समय इस प्रकार की सूचना के संकलन में ही समाप्त हो जाता है, कि आशा राज्य लोक सूचना अधिकारी से नहीं की जा सकती।

7. पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख से स्पष्ट है कि वांछित सूचना, सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 की धारा 7(9) के तहत वृहद सूचना की श्रेणी में आती है। अपीलार्थी द्वारा 5 कॉलम के प्रारूप में अपनी सुविधा के अनुसार सूचना की वांछना की गई है। सूचना के आवेदन के मद संख्या 1 व 2 में वांछित प्रारूप में सूचना हेतु प्रत्यर्थी का अत्यधिक समय व मानव संसाधन की आवश्यकता पड़ती जो कि स्वतः ही सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 की धारा 7(9) के द्वारा वर्जित है। इस प्रकार के प्रकरणों के लिए माननीय न्यायालयों द्वारा भी विभिन्न निर्णय दिये गये हैं कि ऐसी सूचना हेतु आवेदक स्वयं आकर रिकार्ड देख कर चाही गई सूचना अंकित करें व विधिवत शुल्क जमा करवा कर प्राप्त करें। अधिनियम-2005 के तहत सूचना जिस प्रारूप में उपलब्ध हो उसी में उपलब्ध करवाई जा सकती है। हस्तगत अपील में अपीलार्थी द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य भी प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे यह प्रतीत होता हो कि चाही गई सूचना में कोई लोकहित निहित हो। प्रकरण के तथ्यों को दृष्टीगत रखते हुए हस्तगत अपील में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। प्रत्यर्थी द्वारा अपीलोत्तर की प्रति अपीलार्थी को भी पृष्ठांकित कर दी गई है। अपीलार्थी द्वारा प्रेषित प्रतिक्रिया दिनांक 25-4-18 उापरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए बलहीन है। अपील में अब कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने के कारण अपील का खारिज किया जाना समीचीन है।

8. अस्तु, वर्तमान अपील खारिज की जाती है।

9. निर्णय की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।

10. निर्णय घोषित।

(सुरेश चौधरी)
मुख्य सूचना आयुक्त